

शुद्धि पत्र

पत्र सं०- वि.प्रा. (II) व²-24 / 2012-
बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

सरकार के उपसचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय- डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना के निर्माण एवं विकास हेतु चयनित मास्टर प्लान कन्सलटेंट के परामर्शी शुल्क के रूप में स्वीकृत कुल राशि रु. 4,25,00,000=00 (चार करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 40,37,500=00 (चालीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ रुपये) मात्र, M/S LordCultural Resources Pvt. Ltd. को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश:- रवीकृत।

उपर्युक्त विषयक विभागीय व्यायादेश संख्या-1277, दिनांक 16.04.2019 की कंडिका 6 में अंकित "बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से" के स्थान पर "CFMS के माध्यम से" पढ़ा जाय तथा कंडिका-7 को विलोपित समझा जाय।

उक्त व्यायादेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (II) व²-24 / 2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (II) व²-24 / 2012-

1830 /पटना, दिनांक- 24-5-019

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/उप निदेशक (त.)/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव